अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 11 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि एक्ट, 1950 में संशोधन करता है। एक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना करता है ताकि किसी विशेष या अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। अध्यादेश कोविड-19 महामारी के दौरान इस आकस्मिकता निधि से धन निकालने से संबंधित प्रावधान करता है।
- **राज्य के समेकित कोष (कन्सॉलिडेटेड फंड) से धन निकालना और आकस्मिकता निधि में जमा करना**: 1950 का एक्ट अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान करता है। एक्ट में यह प्रावधान है कि राज्य के समेकित कोष से धनराशि आकस्मिकता निधि में हस्तांतरित की जाए। ऐसा माना जाएगा कि इस राशि को आकस्मिकता निधि से निकाला गया है। अध्यादेश इस बात की अनुमति देता है कि समेकित कोष से 600 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे और आकस्मिकता निधि में जमा कराए जाएंगे।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अनूप रामाकृष्णनन
anoop@prsindia.org

18 अगस्त, 2020